



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-05092026-275998
CG-GJ-E-05092026-275998

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948

No. 536]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 25 अगस्त 2026

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूँजी बाज़ार मध्यस्थ) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026

आईएफएससीए/जीएन/2026/013.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 13 की उप-धारा (1); के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1); भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 28ग के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूँजी बाज़ार मध्यस्थ) विनियम, 2025 (जिसे आगे 'मुख्य विनियम' कहा जाएगा) में और संशोधन करने के लिए ये विनियम बनाता है, जो इस प्रकार हैं:-

- इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूँजी बाज़ार मध्यस्थ) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।
- ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- मुख्य विनियमों में, विनियम 28 के उप-विनियम (5) के पहले उपबंध में, "की रेटिंग में" शब्दों के बाद और "दा" शब्द से पहले, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

“इसकी अनुमोदित नीति के अनुसार कतिपय स्थितियों सहित किन्तु इन तक सीमित नहीं”

प्रदीप रामकृष्णन, कार्यकारी निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./296/2026-27]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 25th August, 2026

International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2026

IFSCA/GN/2026/ 013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019); Section 30 read with Section 28C of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992); the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, further to amend the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2025 (hereinafter referred to as the ‘principal regulations’), namely:-

1. These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2026.
2. These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the principal regulations, in the first proviso of sub-regulation (5) of regulation 28, after the words “a rating in” and before the word “the”, the following shall be inserted, namely:-

“certain situations as per its approved policy, including but not limited to”

PRADEEP RAMAKRISHNAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./296/2026-27]